

अस्थायी दुकान हेतु नीलामी समिति का कार्यवृत्त, जनपद न्यायालय बागपत।

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 29.05.2024 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2024-2025 की शेष अवधि के लिये जनपद न्यायालय बागपत की बाहर प्रस्तावित स्थल पर अस्थायी 14 दुकानों के स्थान आवंटन हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में समिति की बैठक आज दिनांक 31.05.2024 को समय सायं 01:30 बजे मेरे विश्राम कक्ष में सम्पन्न की गयी।

बैठक में नीलाम समिति के सदस्य श्री राहुल कुमार सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागपत एवं श्री रजनीश कुमार-द्वितीय, सिविल जज जूनियर डिवीजन/त्वरित बागपत उपस्थित आये। नीलाम समिति द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त 14 अस्थायी दुकानों हेतु स्थान आवंटन की नीलामी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार जेम पोर्टल द्वारा करने का निर्णय लिया गया। नीलामी में भाग लेने के लिये सभी जानकारी जनपद न्यायालय बागपत की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/baghpatt> एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.allahabadhighcourt.in पर नौडल अधिकारी बागपत के द्वारा अपलोड करायी जायेगी तथा इच्छुक व्यक्तियों द्वारा कभी भी देखा व जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। किसी भी व्यक्ति/फर्म द्वारा केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय बागपत से उक्त नीलामी के संबंध में जानकारी की जा सकती है।

14 अस्थायी दुकानों का स्थान विवरण

क्र.सं.	दुकान का विवरण	भूमि का विवरण
01	गेट संख्या-03 के उत्तर में 07 दुकान दुकान नं0 क्रमशः D,E,G,I,M,N,O	प्रत्येक दुकान का क्षेत्रफल 20X15 फिट
02	गेट संख्या-02 के दक्षिण में 07 दुकान दुकान नं0 क्रमशः A,B,F,G,H,I,J	प्रत्येक दुकान का क्षेत्रफल 20X15 फिट

नीलामी की शर्तें निम्नवत है:-

1. प्रत्येक अस्थायी दुकान हेतु स्थान का आवंटन आवंटित होने की दिनांक से 31.03.2025 तक के लिये होगा।
2. जिस व्यक्ति/फर्म के ओर अस्थायी दुकान हेतु स्थान आवंटन के किराये से सम्बन्धित धनराशि बकाया है उसको या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी प्रकार वह व्यक्ति ठेका प्राप्त कर भी लेता है तो इसकी जानकारी होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उक्त आवंटन की पुनः बोली करायी जा सकेगी।
3. न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
4. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।
5. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये प्रत्येक अस्थाई दुकान हेतु स्थान आवंटन की बोली अलग - अलग व्यक्ति/फर्म द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।
6. किसी व्यक्ति/फर्म के पक्ष में एक अस्थाई दुकान हेतु स्थान आवंटित होने पर किसी भी दशा में दूसरी अस्थाई दुकान हेतु स्थान का आवंटन नहीं किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये शेष अवधि हेतु प्रत्येक अस्थायी दुकान के स्थान आवंटन की न्यूनतम बोली गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 के मूल्य 28800/- से 10 प्रतिशत अधिक अर्थात् अंकन 31680/- रूपये/वार्षिक से आरम्भ की जायेगी।

8. जिस व्यक्ति/फर्म के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी वह व्यक्ति/फर्म अपनी दुकान स्वयं चलायेगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे सम्बन्धी या अन्य को किसी को हस्तान्तरित नहीं करेगा। उपरोक्त बातों की जानकारी किसी प्रकार से होने पर आवंटन निरस्त कर जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी और पुनः नीलामी करा दी जायेगी।
9. नीलामी में अधिकतम बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/फर्म के पक्ष में नीलामी स्वीकृत होगी।
10. नीलामी की बोली स्वीकृत होने के उपरान्त व्यक्ति/फर्म को बोली की धनराशि का 25% तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि को तीन किस्तों में प्रत्येक त्रैमास के प्रथम सप्ताह में जमा करनी होगी। धनराशि जमा न करने की स्थिति में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह नियमानुसार कार्यवाही कर आवंटन को निरस्त कर सकते है।
11. अस्थायी दुकान हेतु स्थान के आवंटी व्यक्ति/फर्म को अपने आवंटित अस्थायी दुकान के स्थान के आस-पास की साफ-सफाई स्वयं करनी होगी।
12. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वयं या प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा भौतिक स्थलीय निरीक्षण कर सकते है। अस्थाई दुकानो के आसपास सफाई न पाये जाने पर अस्थाई दुकान का आवंटन निरस्त किया जा सकता है।
13. प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को अपने फॉर्म के साथ आधार कार्ड दाखिल करना होगा।
14. प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवंटित स्थल पर कोई स्थायी निर्माण नहीं करेगा न ही आवंटित स्थल का प्रयोग किसी गैर-कानूनी कार्य के लिये करेगा।
15. प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को उक्त सभी शर्तों का पालन करने के सम्बन्ध में अंकन 100/- रूपये के स्टॉम्प पर एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उलंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत महोदय को यह अधिकार होगा की शासकीय धनराशि के नुकसान को दृष्टिगत रखते हुये वसूली उससे या उसकी सम्पत्ति से करा दें तथा किसी भी समय आवंटन निरस्त कर दें।

उपरोक्त नीलामी की शर्तें माननीय जनपद न्यायाधीश के अनुमोदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Rajnish
31/05/24
रजनीश कुमार-द्वितीय
सदस्य ठेका नीलामी समिति/
सिविल जज जू० डिवीजन/त्वरित,
बागपत।

Rohit Kumar Singh
31.05.2024
राहुल कुमार सिंह
सदस्य ठेका नीलामी समिति/
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बागपत।

Raj
31/05/24
पवन कुमार राय
अध्यक्ष ठेका नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-01 बागपत।

Approved
DNW
31/5/2024
District Judge
Baghat